

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1720/2012/श्रीगंगानगर.

मैसर्स खण्डेलिया उद्योग प्रा० लिमिटेड, श्रीगंगानगर.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, श्रीगंगानगर.प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 1721/2012/श्रीगंगानगर.

मैसर्स खण्डेलिया ऑयल एण्ड जनरल मिल, श्रीगंगानगर.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, श्रीगंगानगर.प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 215 व 216/आरवेट/श्रीगंगानगर/2011-12 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 30.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, श्रीगंगानगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण के रिफण्ड पर ब्याज देने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 29.11.2010 को अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. इन दोनों प्रकरणों में विवादित समान बिन्दु निहित होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. उक्त दोनों ही अपीलों में विवाद का बिन्दु रिफण्ड पर दिये जाने वाले ब्याज से सम्बन्धित है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्मे ऑयल मिल के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें अधिक आई.टी.सी. का रिफण्ड आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग के परिपत्र संख्या एफ.16(445)टैक्स/वैट/सीसीटी/08/23 दिनांक 05.04.2008 की पालना में किया गया था क्योंकि ऑयल मिल के व्यवसायियों की कार्यरत पूंजी को नहीं रोकने हेतु रिफण्ड का भुगतान जल्दी किये जाने के निर्देश दिये गये थे परन्तु रिफण्ड जारी होने के पश्चात् उस पर

लगातार.....2


अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार ब्याज की मांग की जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया कि व्यवसायी ब्याज पाने का हकदार नहीं है। इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि कर यह निर्णय किया गया कि Early Refund समय पर दिया गया है अतः उस पर ब्याज की मांग विधिसम्मत नहीं है। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उनकी रिफण्ड राशि पर वेट अधिनियम की धारा 53 के तहत ब्याज दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है कि अपीलार्थी को रिफण्ड जारी किये हुए हैं एवं यह भी प्रमाणित तथ्य है कि रिफण्ड केवल उसी स्थिति में दिया जा सकता है जब अधिक जमा राशि राजकोष में पूर्व में जमा की गयी हो, इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दिनांक 05.04.2008 को जो परिपत्र जारी किया गया है उसमें भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि रिफण्ड की राशि क्रेता व्यवसायी को जारी करने से पूर्व वेट की राशि जमा होने का सत्यापन किया जावे एवं कर राशि के जमा होने के सत्यापन के पश्चात् ही रिफण्ड जारी किया जावे। उन्होंने कथन किया कि रिफण्ड आदेश किये जाने से यह स्वप्रमाणित है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह सत्यापन कर दिया गया है कि उनके द्वारा जो भी आई.टी.सी. क्लेम की गयी थी उससे सम्बन्धित राशि राजकोष में जमा थी।

5. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह बताया है कि ब्याज देने के सम्बन्ध में enabling provision बताया जावे, जिसके तहत ब्याज दिया जावे, जबकि अपीलार्थी द्वारा ब्याज के सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 53(4) के आलोक में ही रिफण्ड पर ब्याज दिये जाने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कथन किया कि रिफण्ड दिये जाने के साथ ही वेट अधिनियम की धारा 53(4) के तहत कर राशि के जमा होने की तारीख से ब्याज का भुगतान किया जाना अनिवार्य है अतः ब्याज दिये जाने से इन्कार किया जाना विधिक प्रावधानों की अवहेलना है। अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश एवं अपीलीय आदेश को अपास्त कर रिफण्ड पर ब्याज देने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. उक्त दोनों ही प्रकरणों में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा आवेदित आई.टी.सी. रिफण्ड को विधि अनुसार मानते हुए एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के परिपत्र दिनांक 05.04.2008 की पालना करते हुए कर राशि के जमा होने के सत्यापन के पश्चात् रिफण्ड योग्य राशि का रिफण्ड किया गया था अतः वेट अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार विधिक प्रावधानों के अनुरूप रिफण्ड राशि का भुगतान कर दिया गया था। वेट अधिनियम की धारा 53(1) व (4) के तहत निम्न प्रावधान हैं :-

53. Refund. -

(1) Where any amount is refundable to a dealer under the provisions of this Act, after having duly verified the fact of deposit of such amount, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner, shall in the prescribed manner refund to such dealer the amount to be refunded either by cash payment or by adjustment against the tax or other sum due in respect of any tax period.

(2)


(3)

(4) The refund amount under this section shall carry interest with effect from the date of its deposit at such rate as may be notified by the State Government from time to time.

9. उक्त धारा जो कि दिनांक 01.04.2011 तक प्रभावी थी उसमें वेट अधिनियम की धारा 53(4)के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि रिफण्ड राशि के साथ में ब्याज देय होगा एवं ब्याज की गणना date of deposit से की जायेगी। चूंकि इस प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से रिफण्ड प्राप्त होने के पश्चात् यह आवेदन-पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि उन्हें रिफण्ड जारी किया गया है, परन्तु रिफण्ड के साथ वेट अधिनियम की धारा 53(4) के अनुसरण में ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया गया है जिसका भुगतान किया जावे।

10. कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं किया गया कि वेट अधिनियम की धारा 53(4) के तहत अनिवार्य रूप से दिये जाने वाले ब्याज के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी पात्र क्यों नहीं है, बल्कि उनके द्वारा केवल यह निर्णय किया गया है कि रिफण्ड समय पर दे दिया गया है, अतः ब्याज दिये जाने की आवश्यकता नहीं है एवं न ही उन्हें इसके लिये अधिकृत बताया।





लगातार.....4

11. इस प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से ब्याज हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें जिस अवधि से सम्बन्धित रिफण्ड का भुगतान किया गया है उस अवधि की समाप्ति के दिन के पश्चात् एवं रिफण्ड जारी होने की दिनांक के बीच की अवधि का ब्याज दिये जाने का आवेदन किया है। चूंकि वेट अधिनियम की धारा 53(4) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 53 के तहत जारी होने वाले रिफण्ड पर ब्याज देय होगा। धारा 53(1) में यह प्रावधान किया हुआ है कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत जो भी राशि रिफण्डेबल होगी, उसका भुगतान कर राशि के जमा होने के सत्यापन के पश्चात् एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दिया जायेगा जो नकद या समायोजन के रूप में दिया जा सकता है। चूंकि अपीलार्थी के उक्त प्रकरणों में वेट अधिनियम की धारा 17(2) के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिफण्ड जारी करने के आदेश किये गये हैं एवं उसी अनुसार धारा 53 के तहत रिफण्ड का भुगतान नकद के रूप में किया गया है जिसके लिये आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच एवं सत्यापन करने के पश्चात् दिया गया है अतः उस पर ब्याज पाने की भी पात्रता है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 53 की उपधारा (4) में ब्याज के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं कि रिफण्ड की राशि के साथ ब्याज का भी भुगतान किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को रिफण्ड के साथ में ब्याज की राशि का भुगतान किया जाना विधिक प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है। फलतः कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की दोनों अपीलें स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वेट अधिनियम की धारा 53(4) के अनुसार रिफण्ड पर ब्याज की गणना कर ब्याज देने के आदेश जारी किये जायें।

13. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य